

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं०
1213/2020

किरम मुकदमा
धारा 136 एल आर एक्ट

तारीख रजु
12 03 2020

तारीख फैसला
06 06 2022

उनवान

मोहन सिंह बनाम तहसीलदार

आदेश

प्राथी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी खेडली गुर्जर व भूअ.नि. विजयपुरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सूरौट की अनुशांषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खेडली गुर्जर तहसील सूरौट जिला करौली की जमाबंदी सम्वत 2070-2073 में खाता संख्या 209, 200, 199, 198 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
खेडली गुर्जर	198, 199, 200, 209 खसरा नं० 1849, 601, 602, 1297, 1298, 1549, 1713, 1742, 1743, 1804, 1854, 435, 590, 591, 596, 600, 592, 593, 594, 595, 669, 670, 671, 672, 876, 877, 1850,	पिता का नाम मुक्खी	मुक्खी नोट:- पिता का नाम मुक्खी के स्थान पर मुक्खी का अंकन किया जावे।

(अनूप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

क्रमांक/कोर्ट/ 2587-2589

दिनांक:- 6-6-2022

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. तहसीलदार सूरौट को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री मोहन सिंह पुत्र मुक्खी, रामजीलाल पुत्र मुक्खी, केशुला पुत्री मुक्खी, चंद्रो पुत्री मुक्खी, रामपति पुत्री मुक्खी, सम्पति पुत्री मुक्खी जाति गुर्जर निवासी खेडली गुर्जर को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन